रेस्टो० 1021-III-15

रेस्टोरेशन आवेदन पत्र धारा 35 (3) म०प्र० भू-राजस्व संहिता 1959 ... निगरानी-115/III/99 ... दिनांक-1-5-2015 ...

श्रीमानजी

## राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांकः–रेस्टो0 1021/तीन/15 जिला– उमरिया

| स्थान तथा दिनांक | कार्यवाही तथा आदेश | पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर |
|---|---|---|
| 30.05.2015 | प्रस्तुत रेस्टो0 आवेदन के परिपेक्ष में मूल प्रकरण क्रमांक निग0 115–तीन/1999 मोतीलाल/गिरधारी प्रकरण के अवलोकन से प्रकट होता है कि यह प्रकरण दिनांक 10.02.2001 से इस न्यायालय में प्रचलित है । आवेदक की ओर से याचिका प्रस्तुत करने के पश्चात् कोई उपस्थित नहीं हुआ था । तब आवेदक को सूचना दी गई । दिनांक 02.01.2006 को प्रकरण सुनवाई के लिये तथा अनावेदक को सूचना एवं रिकार्ड मंगाये जाने के आदेश दिये गये । प्रकरण को ग्राहय किया गया । दिनांक 09.06.2006 को आदेश पत्रिका के अवलोकन से प्रकट होता है कि आवेदक द्वारा इस न्यायालय में अनावेदक की मृत्यु होने की जानकारी देने पर तब आवेदक अभिभाषक को अनावेदक के वारिसान की जानकारी प्रस्तुत करने के आदेश दिये गये, तब से यह प्रकरण निरन्तर आवेदक द्वारा अनावेदक मृतक के वारिसों की जानकारी देने हेतु प्रचलित रहा। अनावेदक के वारिसों की जानकारी नहीं दी गई और निरन्तर समय चाहा गया । दिनांक 20.10.2014 अनावेदक के वारिसों की जानकारी प्रस्तुत करने के लिये आवेदक अभिभाषक को अन्तिम अवसर दिया गया । परन्तु अभिभाषक द्वारा जानकारी प्रस्तुत नहीं की गई । आवेदक दिनांक 26.03.2015 को | |

Revn 1021-III/15

| स्थान तथा दिनांक | कार्यवाही तथा आदेश | पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर |
| --- | --- | --- |
| | ———सूचना उपरांत भी अनुपस्थित रहे। इसलिये उनके विरूद्ध अदम पैरवी की कार्यवाही कर प्रकरण समाप्त कर दिया गया । इस प्रकरण के अवलोकन से स्पष्ट है कि निगरानी वर्ष 2001 में प्रस्तुति के पश्चात वर्ष 2006 से दिनांक 26.03.2015 तक अनावेदक वारिसों की जानकारी प्रस्तुत नहीं की गई और निरन्तर अनावश्यक रूप से लम्बित रखा जा रहा है । ऐसी स्थिति में इस प्रकरण को पुनः नम्बर पर लेकर प्रचलित करने का कोई औचित्य नहीं है ।<br>अतः आवेदन निरस्त कर प्रकरण इसी स्तर पर समाप्त किया जाता है ।<br>सदस्य | 3/6/15 |